न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **193/2022** दायर दिनाँक **27.05.2022**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. मो0 सलीम नागौरी पुत्र अकबर हुसैन 2. जुबैदा बानू पत्नि बाबु स्या जाति सांई निवासीगण साईयों का मौहल्ला, धनकोली, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री केशव औझा वकील वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **23.06.2022**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि मौजा धनकोली पटवार हल्का धनकोली, भू—अभिलेख नि0 धनकोली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में राजस्व भूमि जिसके खसरा सं0 1128 रकबा 1.0700 हैक्टे0 बारानी 2, खसरा सं0 1129 रकबा 0.0700 हैक्टे0 गै0 मु0 ढ़ाणी, खसरा सं0 1130 रकबा 0.2600 बारानी 2, खसरा सं0 1131 रकबा 0.9900 हैक्टे0, खसरा सं0 1132 रकबा 0.1600 हैक्टे0 बारानी 2, खसरा सं0 1221/1669 रकबा 0.0100 हैक्टे0 बारानी 1, खसरा सं0 401/1516 रकबा 0.0600 हैक्टे0 गै0 मु0 रास्ता, खसरा सं0 945/1660 रकबा 0.0100 हैक्टे0 बारानी 1 कुल खसरे 9 कुल रकबा 4.2400 हैक्टे0 बने है, जिनके पुराने खसरा सं0 709 रकबा 17 बीघा 09 बिस्वा, खसरा सं0 710 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं0 711 रकबा 7 बीघा 02 बिस्वा, खसरा सं0 712 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं0 713 रकबा 0.09 बीघा, खसरा सं0 714 रकबा 09 बीघा 14 बिस्वा है। जो तथ्य सम्वत् 2006 से 2076 की जमाबन्दी में स्पष्ट है।

यह है कि राजस्व काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व से ही उपरोक्त वर्णित भूमियों में से खसरा सं0 1131 रकबा 0.9900 हैक्टै0 बारानी 2 पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त वादीगण के पूर्वजों की पैत्रिक नूरा पुत्र हुसैना की रही है। उनके स्वर्गवास के पश्चात वादीगण के पिता के पिता की पूर्वजों की रही है, उनके स्वर्गवास के पश्चात अब उक्त सम्पूर्ण भूमि पर वास्तविक एवं भौतिक कब्जा काश्त वादीगण का बराबर—बराबर हक हिस्सा की रही है।

यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रभाव सम्वत् 2012 में हुआ। उक्त सुसंगत समय से पूर्व भी उक्त भूमियों पर वादीगण के पूर्वजों नूरा पुत्र हुसैना की रही है। उनके स्वर्गवास के पश्चात वादीगण की पैत्रिक व कब्जा काश्त की बराबर—बराबर की ही रही है। राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार भी उक्त कब्जा काश्त वादीया का है।

प्रार्थना वादी इस प्रकार है :—

यह है कि मौजा [illegible] धनकोली, भू—अभिलेख नि0 धनकोली तहसील डीडवाना जिला [illegible] में राजस्व भूमि खसरा सं0 1131 रकबा 0.9900 [illegible] कदीमी समय से पैत्रिक कब्जा काश्त की [illegible] रकबा 0.9900 हैक्टे0 बारानी 2 की [illegible] में खातेदारी वादीगण के पक्ष में डिक्री जारी करने की कृपा करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:39:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं0 01 को जरिये समन तलब किया। बावजुद तामिल के अनुपरिथत। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादीनी डिक्री सादिर किया जाता है।

–:आदेश :–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा धनकोली पटवार हल्का धनकोली, भू–अभिलेख नि0 धनकोली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में राजस्व भूमि खसरा सं0 1131 रकबा 0.9900 हैक्टे0 भूमि में वर्तमान खातेदारी के स्थान पर वादीगण के नाम खातेदारी घोषित की जाती है।

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **23.06.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:39:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 193/2022 दायर दिनाँक 27.05.2022

वादीगण
1. मो0 सलीम नागौरी पुत्र अकबर हुसैन
2. जुबैदा बानू पत्नि बाबु स्या जाति सांई
निवासीगण साईयों का मौहल्ला, धनकोली,
तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण
1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक 23.06.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री केशव औझा वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा धनकोली पटवार हल्का धनकोली, भू–अभिलेख नि0 धनकोली तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 में राजस्व भूमि खसरा सं0 1131 रकबा 0.9900 हैक्टे0 भूमि में वर्तमान खातेदारी के स्थान पर वादीगण के नाम खातेदारी घोषित की जाती है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 23.06.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा जो फरीकैन का अदालत के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:39:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner